SHRI ARJUN SINGH: What he was saying is that the hon. Minister should show some inclination.

SHRI NILOTPAL BASU: The Planning Commission has already taken a view and adversely commented on the disinclination of different Ministries of the Central Government to transfer the schemes. That is a fact.

*485. [The questioners (Miss Mabel Rabello and Shri Munavvar Hasan) were absent. For answer, *vide* page 30 *infra*.]

गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों का समाचार

*486. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':†**

श्री राम जेठमलानी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों को, प्रसारण माध्यमों विशेषकर इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित चित्रों और समाचारों के कारण बढ़ावा मिला था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यही कारण था कि कुपित स्थानीय प्रशासन ने मौका मिलते ही प्रेस के लोगों की बाद में जमकर पिटाई की थी; और

(घ) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख): साम्प्रदायिक दंगों वाली स्थिति में मीडिया रिपोर्टिंग के प्रभाव पर हमेशा भिन्न राय होती हैं। तथापि, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने 4 मार्च, 3 और 8 अप्रैल, 2002 को मीडिया को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हुए अपील जारी की थी कि उनकी रिपोर्टिंग, विशेषकर गुजरात में साम्प्रदायिक मामलों सम्बन्धी रिपोर्टिंग के नीतिपरक मानदंडों के अनुसार हों और उसमें गुजरात में मौजूदा स्थिति में साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ाने और उकसाने के लिए किसी भी रूप में कुछ न कहा जाए।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस को गांधी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद में लगभग 200 व्यक्तियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 7 अप्रैल, 2002 को बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा था। राज्य सरकार ने गुजरात के उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से घटना की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं।

†सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

Coverage of communal riots in Gujarat

†*486. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':††
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the communal riots in Gujarat were flared up by media, especially by the photos and news-items telecast by electronic media;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether it is for this reason that the angry local administration later smelling the right opportunity took resort to breathing the press persons mercilessly; and

(d) if so, the details of the incidents?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) In such situations involving communal flare up there are always diverse opinions on the impact of media reporting. However, the Chairman of the Press Council of India, has issued appeals on March 4, 3rd & 8th April, 2002, exhorting the media to ensure that their reporting, particularly, in Gujarat, is in accordance with the ethical norms of reporting communal matters and did not add, in any manner, to the flaring up of communal passions and aggravate the existing situation in Gujarat.

(c) and (d) The Government of Gujarat has informed that police had to resort to the use of force on April 07, 2002 to disperse a mob about 200 persons at Gandhi Ashram, Sabarmati, Ahmedabad. The State Government has ordered an Inquiry into the incident to be conducted by a retired High Court Judge of Gujarat.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, गुजरात के दंगों के दौरान जहां–जहां साम्प्रदायिक दंगे हुए, उस दौरान प्रसारण माध्यमों विशेषकर जिस तरह से इलेक्ट्रोनिक मीडिया के

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

माध्यम से समाचार प्रसारित हुए, उससे पूरे देश में साम्प्रदायिक माहौल को खराब होने में और उस पर प्रश्नचिन्ह लगने में यह मीडिया मददगार साबित हुई है। गोधरा की घटना के बाद जिस तरह से जली हुई ट्रेन को दिखाया गया या उसके बाद फिर मरने वालों की संख्या बताई जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि एक ही समुदाय के लोग मरने वालों में हैं या फिर उसके बाद जिस तरह से शरणार्थी शिविरों की चर्चा हो रही है, करीब डेढ़ लाख लोग शरणार्थी शिविरों में हैं। हमारी सूचना के मुताबिक उसमें 40 प्रतिशत लोग दूसरे समुदाय के भी हैं। ऐसे समाचार पूरे देश में जा रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोग हैं और सारे गुजरात में दंगों के दौरान एक ही समुदाय के लोग प्रभावित हुए हैं। इस तरह के समाचारों से साम्प्रदायिक सद्भाव पूरे देश में बिगाड़ने में मदद पहुंचती है। सभापति महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में भी स्वीकार किया है कि प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष ने 4 मार्च, 3 और 8 अप्रैल, 2002 को मीडिया को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हुए अपील जारी की थी कि उनकी रिपोर्टिंग विशेषकर गुजरात में साम्प्रदायिक मामलों संबंधी रिपोर्टिंग के नीतिपरक मानदंडों के अनुसार हो। कुछ ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मापदंडों की अवहेलना हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के स्तर पर ऐसा कोई विचार है या कोई विचार चल रहा है कि देशहित से संबंधित जो विशेष परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में मीडिया पर कोई कोड आफ कंडक्ट या इस तरह की कोई चीज हो जिससे कि इस तरह के समाचार प्रकाशित न हों और देश में जो हमारा साम्प्रदायिक माहौल है, साम्प्रदायिक सद्भाव है, वह कायम रहे? क्या ऐसा कोई विचार सरकार के पास है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, भारत जैसे स्वतंत्र देश में सरकार मीडिया को कंट्रोल नहीं करती है। लेकिन जैसा मैंने लिखित जवाब में भी दिया और उसको माननीय संसद सदस्य ने माना भी कि प्रेस काउंसिल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का काम करती है। जिस तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे थे, उसके लिए अपनी भूमिका निभाते हुए प्रेस काउंसिल के चेयरमैन ने एक बार नहीं, तीन बार अपील जारी की। पहले उन्होंने 4 मार्च को अपील जारी की, उसके बाद 3 अप्रैल को अपील जारी की और यह जो घटना बाद में पत्रकारों के साथ हुई, वहां भी वे अपनी भूमिका से चूके नहीं और 8 अप्रैल को भी उन्होंने एक अपील जारी की। मुझे लगता है कि रेगुलेटर ने यह बहुत अच्छी भूमिका अदा की।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति जी, जी ठीक है कि हम सब लोग प्रेस की आजादी के पक्षधर हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि आजादी और स्वतंत्रता कहीं भी देशहित से ऊपर न हो। अगर प्रेस की आजादी या स्वतंत्रता, या किसी भी आजादी और स्वतंत्रता देशहित से ऊपर हो जाएगी तो उस पर थोड़ा, थोड़ा कहीं न कहीं नियंत्रण लगाने की आवश्यकता लगती है ताकि देश हित ऊपर हो ...(व्यवधान)....

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: आप यह चाहते हैं कि सेंसरशिप कर दी जाए। देश और दुनिया को सब चीजें न दिखायी जाए...(**व्यवधान**)... हर चीज को आप लोग राजनीति में इन्वाल्व करते हैं ...(**व्यवधान**)... आप लोग प्रेस को भी दबाना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': जी नहीं, दबाना चाहते हैं इसलिए कि आपकी रुचि दूसरे में है। आपकी रुचि तथाकथित सेक्युलरिज्म में है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जो बात माननीय सांसद ने कही है, उस बात को तो स्वयं संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है। आप जानते हैं हमारे यहां संविधान की धारा 19 में जहां प्रेस की स्वतंत्रता दी गयी है, वहीं धारा 19 की सब धारा 2 के अंदर उन रीजनेबुल रेस्ट्रिक्शंस का भी जिक्र किया गया है। इसलिए प्रेस की आजादी किन नियंत्रणों के बीच में चले यह तो संविधान में बकायदा लिखा हुआ है। हमारे यहां जितनी भी गाइडलांइस बनी हुई हैं, चाहे वे ब्राडकास्टिंग की बनी हों, चाहे वे प्रिंट की बनी हो, उनमें इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कुछ अंकुश लगाने की बात की गयी है।

SHRI V.V. RAGHAVAN: Mr. Chairman, Sir, there is no meaning in breaking a mirror when the face is ugly. The media, both electronic and print, is very alert in India. That is the only safeguard for our democratic set up. This is our strength. I would request the hon. Minister to see to it that more freedom is given to the print and electronic media. There should not be any attempt to curb the freedom which they are enjoying now.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जब चेहरा भद्दा हो तो दर्पण ठीक करने से कुछ नहीं बनेगा और मोर फ्रीडम की बात कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही मूल सवाल के जवाब में यह बात कही है कि हमारे जैसे स्वतंत्र देश में गवर्नमेंट कभी मीडिया को कंट्रोल नहीं करती और मेरे किसी जवाब से यह ध्वनि भी नहीं निकली होगी कि सरकार इस तरह का कोई इरादा रखती है कि वह प्रेस को कंट्रोल करे।

SHRI K.M. KHAN: As the Government is aware, after the Godhra incident, certain newspapers have played a very damaging role in propagating the Godhra incident and flaring up the situation. This was one of the reasons for the occurrence of post-Godhara incidents at many places in Gujarat I would like to know whether the Government has taken not of the fact that certain NGOs have represented to the Press Council of India to take note of the situation and see how best the media can play a constructive role in a situation like this.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, अभी दो सवालों के जवाब में आपने देखा कि इसमें भिन्न-भिन्न राय हैं। कोई कहता है कि गोधरा के बाद जिस तरह से दिखाया गया उससे कम्युनल

फ्लेयर अप हुआ। दूसरे कहते हैं कि, नहीं, उसके बाद जो गुजरात में दिखाया गया उसमें एकतरफा चीजें थी। इसलिए मैंने अपना लिखित जवाब इसी से शुरू किया कि मीडिया की भूमिका के कारण सद्भाव कितना बिगड़ा है इस बारे में अलग-अलग राय हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रेस काउंसिल के चेयरमैन ने बाकायदा इस बात का नोटिस लिया और एक बार नहीं बल्कि तीन बार नोटिस लिया और दोनों घटनाओं का लिया। जिस समय केवल चीजें दिखायी जा रही थी उसके लिए उन्होंने मीडिया से अपील की और जिस समय यह घटना पत्रकार के साथ घटी तो उन्होंने सरकार से अपील की और इसलिए गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस लिए जाने की बात नहीं है, रेगुलेटर्स अपना काम बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं और इसका संतोष हमें और संसद को होना चाहिए।

SHRI JIBON ROY: Sir, media is nothing but a mirror reflecting the reality that is happening on the ground. And, no doubt, it should be very cautious while playing its role. To my understanding, while dealing with the Gujarat issue, media did play a patriotic and a very cautious role. So, in the name of controlling the media, it should not happen that there is a free right to kill and it is not known to the world. With all respects to the hon. Member, I would request him not to communalise the issue by raising such questions.

MR. CHAIRMAN: This supplementary is not relevant...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मुझ से सवाल करें, सांसद से क्यों उलझ रहे हैं। ....(व्यवधान)... मेरे जवाब में कहीं कंट्रोल की बात आई ही नहीं है। मैंने उनका जवाब भी दिया और आपका भी दिया। जो भिन्न राय है वह सदन में आ ही रही है।

MR. CHAIRMAN: That is all right. This supplementary is not addressed to you.

SHRI ARJUN SINGH: Mr. Chairman, Sir, though I have nothing to say about the question as such, I do hope that the hon. Minister is aware of the implications of part (c) of this question. It reads: "Whether it is for this reason that the angry local administration later smelling the right opportunity took resort to beating the press persons mercilessly". Sir, with due respects to everyone and not passing any judgement about anything, I think, framing of such a question is very, very unfortunate, and I hope, the hon. Minister has taken proper note of what this implies.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किया जाता है इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। राज्य सभा सचिवालय प्रश्न स्वीकार करता है। उन्होंने इस प्रश्न को इसी रूप में स्वीकार किया, इसलिए इसी तरह से जवाब देने के लिए मेरी नीयत थी। लेकिन जहां तक सवाल का

जवाब है वह मैंने इसमें भी दिया है कि राज्य सरकार ने उस घटना पर बाकायदा एक इन्कवायरी लगाई है और घटना की जांच भी वह उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवा रहे हैं। जो भी उसमें रिपोर्ट आएगी। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि जिस तरह की इस सवाल की ध्वनि है, वैसी ही एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस गुजरात सरकार ने रखी है। उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में खास तौर से यह पूछा है कि क्या स्पेशल टार्गेट करके प्रैस पर्सन्ज़ या जर्नलिस्ट को मारा गया और मुझे लगता है कि हमें उस इंक्वायरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मैं मंत्री मोहदय से यह जानना चाहूंगी कि अभी उन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रैस काउंसिल को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है और उन्होंने उसके ऊपर अपनी एक टिप्पणी भी दी है। लेकिन इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ऐसा कोई काउंसिल का नियंत्रण है कि उनको कुछ अंकुश में ले सके? अभी मंत्री महोदया, मैं अहमदाबाद गई थी तो मैंने देखा कि जो घटनाएं वहां पर एक हफ्ता पहले हो चुकी हैं या कुछ और हैं तो उन्हीं को बार-बार दिखाया जा रहा है। मैंने कुछ सत्य तथ्य मीडिया वाले के सम्मुख दिए और कुछ पेपर्ज़ भी दिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऐसा कहा गया कि यह सब नहीं दिखाना है। तो मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहती हूं कि बार-बार उसी स्थिति को दिखाने या लोगों के ऊपर हैमरिंग करने या हमेशा नेगेटिव दिखाने पर -पॉज़िटिव उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि कैंपों में क्या हो रहा है, कितनी सुख-सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने कभी प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि क्या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया काउंसिल भी बनाई जाएगी और उनके ऊपर कुछ अंकुश रखा जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर के तौर पर एक ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल बने, यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा। उसके बाद दोनों को मिला कर एक मीडिया काउंसिल बने, क्योंकि प्रैस काउंसिल और ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल अगर एक ही के नीचे आ जाएं और मीडिया काउंसिल बने, यह एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय कनवर्जन कमीशन का बिल आया और हमने यह बात वहां रखी कि हम इस तरह की एक मिडिया काउंसिल यह एक अलग ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल बनाना चाहते हैं, तो उनको लगा कि अलग-अलग रेगुलेटर्ज की जरूरत न हो तो ज्यादा अच्छा है। और कनवर्जन कमीशन में हमारे उस ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी सबस्यूम कर लिया जिस के तहत ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल बनाने की बात हम कर रहे थे। इसलिए कनवर्जन कमीशन का बिल जो संसद की स्थायी समिति के सामने है, उस में एक कंटेंट पेनल की व्यवस्था की गयी है जिस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कंटेंट को भी वह कमीशन देखे और उस के बाद से मीडिया काउंसिल और ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल की बात समाप्त हो गयी।

SHRI R. K. ANAND: Sir, we are talking about the media. To the best of my knowledge, the IB has given a lot of information to the Government about pamphlets being distributed in the entire State by the Vishwa Hindu Parishad and many other organisations. It is in the newspapers today that the RSS has distributed some pamphlets in Jharkhand for wiping out the Christian community from that State. What action the Ministry is taking on this? Also, what about the reports that have been given by the IB regarding distribution on pamphlets which are provocative in nature?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, पहली बात तो इस पूरक प्रश्न का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है और जहां तक हमारे मंत्रालय का सवाल है, प्रेस में छपी हुई चीज और इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिखायी गयी चीज मेरे मंत्रालय के नीचे आती है, लेकिन किसी तरह का कोई पेमफ्लेट अगर कम्युनल डिसहार्मेनी पैदा करता है तो वह गृह मंत्रालय का काम है, राज्य सरकार के अधीन जो लॉ एंड ऑर्डर आती है, उस का काम है। यह सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम नहीं है।

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, कल जो शांति मोर्चा वहां निकाला गया और मीडिया द्वारा दिखाया गया, यह एक अच्छी बात है, लेकिन उस की बात तो वह नहीं बोल रहे हैं। अब मीडिया जो दिखाता है वह कैसे बताना, यह उनका अधिकार है। अब वहां जो हुआ है और जो सही चीज देखने में आई है, वह न हो -इस तरह का विवाद बंद किया जाना चाहिए नहीं तो इस तरह पूरे राष्ट्र के अंदर यह बात हो जाएगी। अभी मोदी जी के मुद्दे को लेकर 6-7 दिन हमारी पार्लियामेंट बंद रही। इसलिए इस बात को पालिटिकली न लेते हुए दोनों समाज में शांति और सद्भाव का निर्माण करने की दृष्टि से मीडिया को दोष दिया जाना या कांस्टीटयूशन को खतरा बताना कोई सही बात नहीं है। इसलिए दोनों मीडिया जो बताएं वह देश हित में हो और जो गलत बात है, उस को रोकने का उन का काम है। यही मेरा कहना है। इस बारे में सरकार क्या करने वाली है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, इस में तो कोई सवाल नहीं है जिस का जवाब मुझे देना हो। हां, मीडिया पर जो आप की टिप्पणी है, उसे सुनकर मीडिया वाले जरूर खुश हुए होंगे।

श्री लेखराज बचानी: महोदय, हम मीडिया के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हकीकत दिखायी जानी चाहिए। जब एस.एस. की परीक्षा 18 तारीख को शुरू हुई तो एक पेपर ने वहां के परीक्षा हॉल का पिक्चर दिखाया जोकि 11 बजे हॉल में विद्यार्थी आए, उस के पहले का था। उसी दिन गुजरात के पेपर्स में जो पिक्चर दिखायी गयी, उस के अनुसार 97-98 परसेंट विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। उस वक्त गुजरात में और खासकर अहमदाबाद शहर में नियर नॉर्मलसी थी, लेकिन प्रेस ने जानबूझकर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, विद्यार्थियों के परीक्षा हाल में जाने के पहले का फोटो दिखाया। Naturally, nobody will be there .... *(Interruptions)* और उसी दिन के दूसरे फोटोज भी हैं। तो। उस बारे में प्रैस काउंसिल या प्रेस काउंसिल के चेयरमैन प्रिंट मीडिया के खिलाफ कुछ करें,

इस के लिए माननीय मंत्री जी विचार करेंगी? महोदय , जब अहमदाबाद शहर में नॉर्मलसी की कंडीशन थी, तब भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 15–15 दिन पहले के तनाव को एक्सपोज कर के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया जबकि 15 दिन के बाद उसे देने की कोई जरूरत नहीं थी। महोदय, मैं कोई एलीगेशन नहीं करता, लेकिन यह हकीकत है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस तरह की जो फोटो दी, वह सही नहीं है। ...(**व्यवधान**)... There are so many instances. *(Interruptions)* I give only two instances. By mentioning these two instances, I want to know from the hon. Minister कि यह जो हकीकत है, उस के बारे में मंत्री जी क्या कहना चाहती हैं या प्रेस काउंसिल उस बारे में कुछ एक्शन ले, उस के लिए वह क्या करना चाहती हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, किसी अखबार की विशेष रिपोर्टिंग को लेकर माननीय सदस्य उत्तेजित हैं। अगर उनको उस अखबार की रिपोर्टिंग से शिकायत है तो वह लिखकर प्रेस काउंसिल को भेजें, प्रेस काउंसिल उस पर यथोचित कार्यवाही करेगी। प्रेस काउंसिल बनाई ही इसलिए गई है, सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। यदि आपको कोई शिकायत है तो आप लिखकर प्रेस काउंसिल को भेजिए। वह यथोचित कार्यवाही करेगी।

डा. अबरार अहमद: सभापति महोदय, मैं मुख्य बात जो इस सवाल के अंदर से पूछना चाहता हूं, वह यह कि जब एक सत्ता या राज्य सरकार किसी सांप्रदायिक दंगे में लिप्त हो तो उस समय मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ... (**व्यवधान**)... मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप सुनिए तो सही। ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

डा. अबरार अहमद: सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति: आप सवाल कीजिए।

डा. अबरार अहमद: सभापति जी, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। तो उस समय मीडिया का रोल बुहत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस सांप्रदायिक घटना के दौरान जिस प्रकार से गुजरात में धर्म और जाति के आधार पर मीडिया के लोगों को छांट–छांट कर मारने का प्रयास किया गया और कुछ चैनलों के एक जाति विशेष के लोगों को वापस लौट आना पड़ा, इस पर केन्द्र सरकार किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी कि मीडिया के अंदर सभी जाति, संप्रदाय और धर्म के लोगों को ऐसी जगहों पर, जहां ऐसी घटना होती हों, वहां सुरक्षा प्रदान की जाएगी? इसी के साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जो आपने प्रेस काउंसिल का हवाला दिया, क्या इतनी बड़ी घटना के दौरान कहीं किसी अखबार को या किसी मीडिया को, किसी चैनल को आईडेंटीफाई किया गया कि इनका कहीं सांप्रदायिकता फैलाने में कोई योगदान रहा है? अंत में मैं, मीडिया के उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने उस प्रांत में जो भी घटना हो रही थी उसको सारे देश को बताया और उससे उनको बचाने के लिए सारा देश खड़ा हो गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, यह प्रश्न जिस तरह की भाषा में पूछा गया है, जिस धारणा पर आधारित है, उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। यह तथ्य ही नहीं है कि वहां पर किसी धर्म या जाति के लोगों को अलग से उठाकर मारा गया है और उनको वहां से निकलना पड़ा है। सर, इस प्रश्न का कोई सीधा संबंध इससे नहीं है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं।

डा. अबरार अहमद: सर, संबंध है। जैसा मैंने बताया कि किस तरह से एक जाति विशेष के लोगों को वहां से लौट आना पड़ा, किस प्रकार की वहां घटना घटी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अंहलुवालिया: सभापति महोदय, यह सवाल पूछते वक्त जो आक्षेप लगाए गए हैं, उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, what he has said has actually been told by the Press Guild representatives who went there to study the situation. (*Interruptions)*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, while replying to the supplementary question, the hon. Minister referred to the freedom of Press as envisaged in article 19, and she rightly talked of reasonable restriction. So far the practice is that we have left these restrictions to be imposed by the Press themselves, the Press Council or certain other bodies, which is called self-discipline. Any attempt to impose discipline from outside will be totally counter-productive. There may be differences of opinion, no doubt. If I have heard her language correctly, the hon. Minister took objection to the language of the supplementary put by Shri Abrar Ahmed. But the same objection has been raised by Shri Arjun Singh, if you look at the text of the question itself. Therefore, let us not pass judgement on that.

Secondly, I would like to know whether the hon. Minister has come across the recommendations made by the Constitution Review Committee which was appointed by her Government. The Constitution Review Committee has made a specific reference that instead of having implied freedom of speech under article 19, the fundamental rights relating to that should be amended to make it explicit and direct.

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी हां, सभापति जी कंस्टीटयूशन रिव्यू कमेटी की जो अनुशंसाएं हैं, वे मैंने ही क्या, संसद के सभी माननीय सदस्यों ने देखी हैं। Yes, I have come across those recommendations, लेकिन मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं की, जो कंस्टीटयूशन रिव्यू कमेटी से की हो और उसको कंट्राडिक्ट करती हो। मैंने तो पूरे के पूरे जवाबों में हर बार इस बात को कहा है कि भारत के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता कायम रहे, प्रेस निष्पक्षता से अपना काम कर सके। हम मीडिया को

कंट्रोल नहीं करना चाहते। मैंने रेगुलेशन तक की बात में यह कहा कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर काम करे। एक सांसद के सवाल का जवाब देते हुए मैंने यह कहा कि हम प्रैस काउंसिल को शिकायत नहीं करें, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप एक नागरिक के नाते शिकायत कर सकते हैं। यो दोनों बातें कंट्राडिक्टरी कहां हैं? प्रणब दा का सवाल तब तो मुझे समझ में आता जब मेरे किसी भी जवाब में यह प्रतिध्वनि निकलती कि सरकार मीडिया को कंट्रोल करना चाह रही है। मेरे लिखित या मौखिक जवाबों में से एक में भी मैंने ऐसी भनक तक नहीं दी कि सरकार कहीं मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। कांस्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, वे मेरे सामने आई हैं।

*487. [The questioner (Shri Kalraj Mishra) was absent. For answer, *vide* page 31 *infra*.]

MR. CHAIRMAN: Question No. 488.

Tax-exemptions for Ayurveda and ISM

*488. DR. KARAN SINGH:†
SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU):

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any proposal for certain relief and tax-exemptions to help Ayurveda and other Indigenous Systems of Medicine to effectively tap the growing international market for non-allopathic drugs have been considered;

(b) if so, the measures considered; and

(c) the decisions taken in regard thereto and the steps taken to implement the same?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C.P. THAKUR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The following fiscal concessions and incentives are available to the ISM&H drugs industry:

1. (i) The Basic Customs duty on medicines of ayurvedic, unani, siddha and homoeopathic systems was reduced from 35 per cent to 30 per cent in the budget for the year 2002-2003, along with the peak rate reduction.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Karan Singh.